

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)
दिनांक : 15/07/2020
पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2020/1391

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 14.07.2020 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति दिनांक: 15.07.2020 से नव दुर्गा पी०जी० कालेज, खसरोपुर, बसखारी, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी, एवं भूगोल अतिरिक्त विषयों तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2020 से क्रमशः आगामी तीन एवं दो वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय के सम्बन्ध में इंगित समस्त कमियों (यथा-प्रवक्ता अनुमोदन) को 31 अगस्त, 2020 (स्नातक)/दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020 (परास्नातक) तक पूर्ण करते हुए परिणियम 11:30 "कार्यपरिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों के प्रवेश न करने का निर्देश दे सकती है। यदि कार्यपरिषद् के राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गई हो, किन्तु कार्यपरिषद् की पूर्व अनुज्ञा से उसके संतोषानुसार शर्तें पूरी कर लेने पर कक्षाएँ पुनः प्रारम्भ की जा सकती है।" की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिणियम 11:30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का निराकरण किया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरंतर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णतः तथा उनकी निरंतरतरा को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिणियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
7. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा, अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
8. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2050-16(20)/2011 दिनांक: 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरंतरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक: 31 अगस्त, 2020 (स्नातक हेतु)/दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020 (परास्नातक हेतु) उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात कक्षा संचालन की विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करते हुए प्रवेश एवं अध्ययन/अध्यापन की कार्यवाही की जा सकेगी।
11. College must take sincere interest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, से नव दुर्गा पी०जी० कालेज, खसरोपुर, बसखारी, अम्बेडकरनगर।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

उप-कुलसचिव

15/7/2020